भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 852

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी चुनौती निधि और औद्योगिक आवास योजना का क्रियान्वयन

†852. **श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित शहरी चुनौती निधि और औद्योगिक आवास योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और धनराशि जारी करने के लिए समय-सीमा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की आंध्र प्रदेश सहित राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश-वार संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की स्वीकृत, विचाराधीन या अस्वीकृत संबंधी स्थिति और उनकी अस्वीकृति के कारण क्या हैं;

(घ) प्रत्येक योजना के तहत उनकी शुरुआत से अब तक आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी, बॉन्ड वित्तीयन और निजी निवेश आवश्यकताएँ सहित विचाराधीन पात्रता मानदंड और वित्तीय भागीदारी के मानदंड क्या हैं; और

(च) क्या किसी भी योजना के तहत जल्द शुरुआत के लिए कोई पायलट या मॉडल परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं और यदि हाँ, तो उनके क्षेत्रों (सेक्टर) और स्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 'विकास केंद्रों के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) बनाने की घोषणा की है। इस बजट घोषणा के अनुसार, इस कोष का उद्देश्य बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक इस शर्त

के साथ वित्तपोषित करना है कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बॉन्ड, बैंक ऋणों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से वित्तपोषित किया जाए। बजट घोषणा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

केन्द्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए शयनशाला-श्रेणी के किराया आवास को व्यवहार्य पूरक वित्तपोषण (वीजीएफ) समर्थन और आधारभूत उद्योग की प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए, 2025-26 में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

शहरी चुनौती कोष और औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराया आवास की योजना पर विचार किया जा रहा है। योजना की स्वीकृति के बाद, पात्रता मानक और भागीदारी मानदंड को निर्धारित करके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

*****